अनुसूची 21 [नियम 110-113]

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या सन् आवेदन सं० 20 ?

सेवा में 1824

मैंने आज आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्धारित सम्व्यवहारों और अवभारों का सांविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये।
(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले सम्व्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणिकों में सन् से सन् तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सम्व्यवहारों और अवभारों का पता चला

..... चिह्नित है अत:

क्रम सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के बारे में विवरण		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	पृष्ठ	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	House Nahida Post Phulwari Sharif Police [illegible] Khatian [illegible] Mobile 20, 41, K Area 33 katha 13 dhur.							

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें ।

2. स्थल-पत्र की दिशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें । बातें दी हुयी हो से पल्लेख हो।

3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें ।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त सव्यवहारों और अक्षभागों को छोड़ उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य सव्यवहार और अक्षभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर)

(पदनाम)

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर)

(पदनाम)

कार्यालय

तारीख 19/4/17

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो सव्यवहार और अक्षभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित सव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति (पार्टियां) और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रतियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट सम्पत्तियों के अक्षभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दैवे गये सव्यवहारों और अक्षभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दैवे गये ऐसे सव्यवहारों और अक्षभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अर० निबंधक

ज्ञाप संख्या 1754 दिनांक 19/4/17

आवेदक श्री Ram Lagan Singh

का अक्षभार प्रमाण-पत्र द्वारा

का उनके पत्र संख्या दिनांक 19/4/17 के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

